रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 26, 1969/माघ 6, 1890
No. 13] NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 26, 1969/MAGHA 6, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th January 1969

No. 31/13/68-Adm.-IIIB.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1969, to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service to:—

Shri Romesh Chander Datt, Additional Chief Inspector, Customs Department, Bombay.

2. This award is made under clause (a)(ii) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs and Central Excise Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extra-ordinary Notification No. 12/139/59-Adm. IIIB dated the 5th November, 1962.

No. 31/13/68-Adm. IIIB.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1969, to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service to:—

Shri Jaywant Sadashiv Wagh, Superintendent of Central Excise, Collectorate of Central Excise, Bombay.

2. This award is made under clause (a)(ii) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs and Central Excise Departments, published in Part I, Section 1, of the Gazette of India Extra-ordinary Notification No. 12/139/59-Adm. IIIB dated the 5th November, 1962.

No. 31/13/68-Adm. IIIB.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1969, to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of Service to:—

Shri Paragauda Appanna Pujari, Superintendent of Central Excise, Central Excise Collectorate, Bombay.

2. This award is made under clause (a)(ii) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs and Central Excise Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extra-ordinary Notification No. 12/139/59-Adm. IIIB dated the 5th November, 1962.

No. 31/13/68-Adm. IIIB.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1969, to award an Appreciation Certificate for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life to:—

Shri Chakkenjath Balakrishnan, Sub-Inspector of Central Excise, Central Excise Collectorate, Bombay.

Statement of services for which the Certificate is awarded.

On 13th May, 1968, on receiving information that smuggled cinnamon had been landed at Erangal village, Shri Balakrishnan and one more Sub-Inspector rushed to the spot. They were informed that a motor vehicle loaded with some of the contraband had already left. Thereupon, Shri Balakrishnan gave chase single-handed on a motor cycle and after a long and dangerous chase of eight miles succeeded in cornering and intercepting the suspected vehicle containing five packages of cinnamon weighing 250 kgs.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs and Central Excise Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extra-ordinary Notification No. 12/139/59/Adm. IIIB dated the 5th November, 1962, and consequently carries with it monetary allowance at the rate of Rs. 20/- p.m. for a period of five years from 13th May, 1968 to 12th May, 1973, as admissible under clause (b) ibid.

S. P. KAMPANI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1969

सं० 31/13/68 प्रसासन-III-बी: —राष्ट्रपति जी, गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी 1969 के अवसर पर, निम्नलिखित अफसर को, उनकी उल्लेखनीय विशिष्ट सेवाओं के लिये यह प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

श्री रमेश चन्द्र दत्त,
अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक,
सीमा शुल्क विभाग,
बम्बई ।

2. यह पुरस्कार सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार देने से सम्बन्धित उस योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (ii) के अन्तर्गत दिया जा रहा है, जो भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 1, खण्ड 1 में 5 नवम्बर, 1962 की अधि-सूचना सं० 12/139/59-एडी-III-बी में प्रकाशित हुई थी ।

सं० 31/13/68-प्रशासन-III-बी :—राष्ट्रपति जी, गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी 1969 के अवसर पर, निम्नलिखित अफ़सर को, उनकी उल्लेखनीय विशिष्ट सेवाओं के लिये यह प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

श्री जयवन्त सदाशिव वाघ,
अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क,
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय,
बम्बई ।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार देने से सम्बन्धित उस योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (ii) के अन्तर्गत दिया जा रहा है, जो भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खण्ड 1 में 5 नवम्बर 1962 की अधि-सूचना संख्या 12-139/59-एडी III-बी में प्रकाशित हुई थी ।

सं० 31/13/-68-प्रशासन-III-बी :—राष्ट्रपति जी, गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी 1969 के अवसर पर, निम्नलिखित अफसर को, उनकी उल्लेखनीय विशिष्ट सेवाओं के लिये यह प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

श्री पारगौड़ अप्पक्षा पुजारी,
अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शल्क,
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय,
बम्बई ।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार देने से सम्बन्धित उस योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (ii) के अन्तर्गत दिया जा रहा है, जो भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खण्ड 1 में 5 नवम्बर 1962 की अधि-सूचना सं० 12/139/59-एडी III-बी में प्रकाशित हुई थी ।

सं० 31/13/68-प्रशासन-III-बी :—राष्ट्रपति जी, गणतन्त्र दिवस, 1968 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को, अपने जीवन को भी संकट में डालने वाला कार्य करते हुए की गई असाधारण प्रशंसनीय सेवा के लिए यह प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

श्री चाकेनजथ बालकृष्णन्,
उप-निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क,
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता कार्यालय,
बम्बई ।

प्रमाण-पत्र प्राप्तकर्ता सेवाओं का विवरण

13-5-1968 को यह सूचना मिलने पर कि चोरी छिपे आयात की गई दालचीनी इरांगिल ग्राम में उतारी गई है, श्री बालकृष्णन् तथा एक अन्य उप-निरीक्षक भागकर घटनास्थल पर पहुंचे । वहां उन्हें सूचना दी गई कि अवैध माल में से थोड़ा माल लेकर एक मोटर-गाड़ी वहां से पहले ही चली जा चुकी थी । इस पर, श्री बालकृष्णन् ने अकेले ही मोटर साइकिल पर उसका पीछा किया और आठ मील जितना लम्बा और खतरनाक पीछा करने के बाद, वे संदिग्ध गाड़ी को घेरने और रोकने में सफल हुए । उस गाड़ी में दालचीनी के 250 किलोग्राम वजन के पांच थैले लदे थे ।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने से सम्बन्धित उस योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जा रहा है जो भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/59-प्रशासन-III-बी दिनांक 5 नवम्बर 1962 में प्रकाशित हुई थी, और इसलिए इस पुरस्कार के साथ, 13-5-1968 से 12-5-1973 तक की पाँच वर्ष की अवधि के लिए, उक्त अधिसूचना के खण्ड (ख) के अधीन मिलने वाला 20 रु० मासिक नकद भत्ता मिलेगा।

श० प० कम्पानी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969